न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – एल.एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 03/2012 (राजसमन्द आर्डर)

1. हिन्दुस्तान जिंक लि. सिन्देसर खुर्द जरिये वरिष्ठ प्रबन्धक (मानक संसाधन) श्री रामचन्द्र मीणा निवासी राजपुरा दरीबा कॉलोनी तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द (राज0)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमन्द
2. श्री देवजी पिता डालू चमार निवासी शिवपुरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द (राज0)
3. श्री उंकार पिता डालू चमार निवासी शिवपुरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द (राज0)
4. श्री नाथू पिता माधु चमार निवासी शिवपुरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द (राज0)
5. श्री कैलाश पिता माधु चमार निवासी शिवपुरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द (राज0)
6. श्रीमती टमु पिता माधु चमार निवासी शिवपुरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द (राज0)
7. श्रीमती लहरी बेवा माधु चमार निवासी शिवपुरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमन्द (राज0)

..... रेस्पोन्डेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय सहायक कलेक्टर रेलमगरा दिनांक 26–12–2011 प्रकरण संख्या 267/2010 प्रार्थना पत्र

———

उपस्थित :–1– श्री के.एल. जाट अभिभाषक अपीलान्ट्स

2– राजकीय अधिवक्ता

————————

<u>निर्णय</u> **<u>दिनांक 12–12–2017</u>**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में सरकार जरिये तहसीलदार द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 7 व अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का वाद प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि ग्राम शिवपुरा की आराजी नंबर 510/2 रकबा 5 बीघा 9 बिस्वा अप्रार्थी संख्या 1 से 6 के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 से 6 (रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 से 6) ने यह भूमि अपीलान्ट अप्रार्थी संख्या 7 को 29–4–2010 को 4,90,000/–रूपये में पंजीकृत विक्रय कर दी, व कब्जा अपीलान्ट अप्रार्थी संख्या 7 का है। यह विक्रय अनुसूचित जाति से निजी व्यक्ति को हुआ है जो धारा–42–बी का उल्लंघन है। अतएव भूमि को बिलानाम दर्ज कर कब्जेराज लिए जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1, 2, 3, 4, 6 अनुपस्थित रहे, रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6, 7 के द्वारा खण्डन का जवाब पेश किया गया। प्रकरण में प्लीडिंग्स के आधार पर निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई :–

1. ***आया अप्रार्थी संख्या 1 से 6 ने अप्रार्थी संख्या 7 को उक्त भूमि दिनांक 29–4–2010 को पंजीकृत विक्रय पत्र से विक्रय कर दी है तब से कब्जा अप्रार्थी संख्या–7 का है।***
2. ***आया अप्रार्थी संख्या 1 से 6 द्वारा अप्रार्थी संख्या 7 के पक्ष में किया गया अन्तरण धारा 42 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन है।***
3. ***आया जिला कलक्टर राजसमन्द द्वारा लिए गये निर्णय की अनुपालना में अप्रार्थी संख्या 7 ने भूमि क्रय की है। इसलिए प्रार्थना पत्र नहीं चल सकता है।***
4. ***अनुतोष***

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों के द्वारा पेश शुदा साक्ष्य सबूतों के आधार पर दिनांक 26–12–2011 को तहसीलदार का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए भूमि को बिलानाम दर्ज कर कब्जे राज लिए जाने का आदेश दिया।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 26–12–2011 से रूष्ट होकर अपीलान्ट विपक्षी संख्या 7 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 16–1–2012 को पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या–2 से 7 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 सरकार की और से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थिति दी।

अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में लिखित तथ्यों को ही पुनः दोहराया तथा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को त्रुटिपूर्ण होना बताते हुए खारिज करने की प्रार्थना की। वहीं अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को सही बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अपीलान्ट के प्रमुख अपील उजर यह है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया तथा बहस में भी उसकी उपस्थिति आदेशिका में नहीं लिखी जाती, परन्तु निर्णय में लिख दी जाती है। अपीलान्ट भारत सरकार का उपक्रम है। निजी खातेदारी की भूमि की अवाप्ति के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये थे एवं इसी क्रम में भूमि क्रय की गई है।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन किया तो यह पाया कि अपीलान्ट को साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने के लिए पर्याप्त अवसर दिये गये है। आदेशिका व विस्तृत निर्णय में अपीलजान्ट की उपस्थिति का विरोधाभाष है। परन्तु विस्तृत निर्णय को त्रुटिपूर्ण माने जाने का कोई आधार नहीं है। जिला कलक्टर के कोई आदेश अपीलान्ट के द्वारा पेश नहीं किये गये है।

यह भी सुस्पष्ट है कि वर्ष 2010 में अपीलान्ट भारत सरकार का उपक्रम नहीं है तथा यदि उपक्रम होता तो भी किसी कम्पनी को अनुसूचित जाति की भूमि विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय किये जाने का धारा–42 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के हत कोई अधिकार नहीं है। अपीलान्ट द्वारा वर्ष 2010 में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों से क्रय की गई भूमि को धारा–42 बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के उल्लंघन से अपीलान्ट द्वारा क्रय किये जाने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित भूमि को बिलानाम

दर्ज किये जाने व कब्जेराज लिए सजाने का आदेश दिये जाने में कोई तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि नहीं की है।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26–12–2011 यथावत रखा जाता हैं। पर्चा डिक्री जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 12–12–2017 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत ..... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ**. .....मुकाम .....
उदयपुर व इजलास ..... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** .....

1–हिन्दुस्तान जिंक लि. सिन्देसर खुर्द जरिये वरिष्ठ प्रबन्धक (मानव संसाधन) श्री रामचन्द मीणा निवासी राजपुरा दरीबा कॉलोनी तह0 रेलमगरा जिला राजसमन्द

बनाम

1– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमन्द व अन्य–5

अपील नं0 **03/2012** बनाराजगी डिगरी अदालत..... **सहायक कलक्टर** ..... **रेलमगरा .....** मुकाम मुक्र्खे.....**26**.....माह.....**12**..... **2011**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख .....**12**..... माह .....**12**..... सन् **2017.....**रूबरू..... पक्षकारान व हाजरी ....**श्री के.एल. जाट .....** मिनजानिब अपीलान्ट व . .....**श्री राजकीय अधिवक्ता** ..... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 26–12–2011 यथावत रखा जाता हैं।**

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X .....अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का ..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख .....**12**..... माह ...**12**..... **2017** को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील ....स्टाम्प वकालत नामा.... 2. इजराय हुक्मनामा ..... 3. वकील फीस बाबत ..... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा हर्जा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।